

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

श.१११७

पत्रावली पैरा हुई। वहील पत्रावली उपख
वाले तलवी कुमा ३ जमात १५ हेतु पुनः
आवृत्त पाठ्य पर अंशक डिपॉजिट श.१११७
शे पैरा बी डी
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

श.१११७

पत्रावली पैरा हुई। वहील वादी उपपद्धिगत।
वादी एवं वहील वादी के बार-बार-रुक-रुक
तीन बार आवान लगवाई गई परन्तु वादी एवं
वहील वादी उपपद्धिगत न्यायालय नहीं होने से
बाद वादी अदम अजरी एवं अदम पंथी में
खारिज किया जाता है। पत्रावली के द्वारा सुमा
दोहर दर्ज नम्बर से एक ही तथा बाद तकमील
आपना दायित्व स्फुर हो निर्णय अदम सुख न्यायालय
में सुनया गया।
22-11-19
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

आपका पत्र प्राप्त हुआ है। इस पर निर्णय देना
आपको सूचित किया जा रहा है।
आपका पत्र प्राप्त हुआ है। इस पर निर्णय देना
आपको सूचित किया जा रहा है।
आपका पत्र प्राप्त हुआ है। इस पर निर्णय देना
आपको सूचित किया जा रहा है।

